36. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउन्सेल की इस दलील में भी कोई सार नहीं है कि आरंभिक अर्हक प्रक्रम पर आयु में शिथिलीकरण तारीख 29 जनवरी, 2000 और 23 जुलाई, 2004 के परिपत्रों के विरुद्ध नहीं था । प्रारंभिक और अंतिम परीक्षा में जो प्रभेद करने की ईप्सा की गई है वह पूर्णतः भ्रामक है । विज्ञापन से यह स्पष्ट है कि ऐसा व्यक्ति, जो आरंभिक प्रक्रम पर आयु शिथिलीकरण का लाभ लेता है, अंतिम प्रक्रम पर भी वह उसी शिथिलीकरण का आवश्यक रूप से लाभ लेगा । हमारा यह मत है कि वर्तमान मामले में एस. सी./एस. टी. और एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रदान की गई आयु में शिथिलता भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण की एक घटना है ।

37. इस अपील में कोई सार नहीं है । तद्नुसार, वह खारिज की जाती है । तथापि, पक्षकारों को अपने-अपने खर्चों का स्वयं वहन करने का निदेश दिया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

ग्रो.

[2019] 4 उम. नि. प. 365

आल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन, उसके सचिव द्वारा

बनाम

मणिपुर राज्य और अन्य

[2016 की सिविल अपील सं. 10857]

11 जुलाई, 2019

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14, 16, 309 और 148(5) [सपठित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 49] – मणिपुर राज्य द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को अंगीकार

करना – पेंशन का पुनरीक्षण – पेंशनभोगियों का वर्गीकरण – राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वर्गीकरण करते हुए 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मुकाबले कम वृद्धि करना – चूंकि समस्त पेंशनभोगी एक समरूप वर्ग गठित करते हैं, इसलिए, पुनरीक्षित पेंशन अनुदत्त करने के उद्देश्य और प्रयोजन में कोई संबंध हुए बिना पुनरीक्षित पेंशन के अनुदान के प्रयोजनार्थ पेंशनभोगियों के दो वर्गों का सृजन करना अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण की कोटि में आएगा ।

प्रस्तुत मामले में, मणिपुर राज्य ने समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 अंगीकार किए । केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 के नियम 49 के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो कम से कम 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात्, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त हुआ है, पेंशन की रकम की गणना अधिकतम 4,500/- रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए औसत उपलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर की जाएगी । ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर सरकार ने निर्वाह व्यय में वृद्धि पर विचार करते हुए, कर्मचारियों की पेंशन तथा उनके वेतन में वृद्धि करने का विनिश्चय किया । मणिपुर सरकार ने पेंशन की मात्रा को पुनरीक्षित करते हुए एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें यह उपबंध किया गया कि मणिपुर सरकार के वे कर्मचारी, जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, उच्चतर प्रतिशत दर पर पुनरीक्षित पेंशन पाने के हकदार होंगे और जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, वे निम्नतर प्रतिशत दर पर हकदार होंगे । आल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन ने, जो कि इस मामले में अपीलार्थी है, उस कार्यालय ज्ञापन से व्यथित महसूस करते हुए, रिट याचिका द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष समावेदन किया । मूल रिट याचियों की ओर से यह पक्षकथन किया गया था कि सभी पेंशनभोगी, जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं और जो 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, समग्र रूप से एक वर्ग गठित करते हैं और इसलिए पुनरीक्षित पेंशन का फायदा

अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले तथा 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीच किया गया वर्गीकरण मनमाना, अयुक्तियुक्त और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है । विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष फाइल की गई रिट याचिका का राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया और उपर्युक्त वर्गीकरण को एकमात्र इस आधार पर न्यायोचित ठहराने की ईप्सा की गई थी कि राज्य की वित्तीय मजबूरियों पर विचार करते हुए राज्य सरकार का उन कर्मचारियों को, जो 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं और जो 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भिन्न-भिन्न पुनरीक्षित पेंशन अनुदत्त करना न्यायोचित था । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने डी. एस. नकारा और अन्य **बनाम** भारत संघ वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए रिट याचिका मंजूर कर ली और यह अभिनिर्धारित किया कि 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले और 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के बीच किया गया वर्गीकरण मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार को यह निदेश दिया कि सभी पेंशनभोगियों को, किसी कट-ऑफ तारीख पर विचार किए बिना, अर्थात्, चाहे वे 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं या 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, एकसमान पुनरीक्षित पेंशन का संदाय किया जाए । राज्य ने, विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए उक्त अपील मंजूर कर ली और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया कि यह वर्गीकरण अनुज्ञेय है और राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करते हुए कट-ऑफ तारीख लागू की जा सकती है । खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य सरकार द्वारा 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले और 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुनरीक्षित पेंशन का संदाय करने के लिए 1 जनवरी, 1996 के रूप में नियत की गई कट-ऑफ तारीख को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14

को ध्यान में रखते हुए अयुक्तियुक्त या अतर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है और इसलिए उसे अविधिमान्य अभिनिर्धारित करना आवश्यक नहीं है । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याचियों ने प्रस्तुत अपील फाइल की है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों को अंगीकार किया है जिससे कि उन्हें मणिपुर राज्य को लागू किया जा सके । राज्य ने मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1977 भी बनाए हैं । इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि अर्हक सेवा पूरी करने के अधीन रहते हुए पेंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक पेंशन के हकदार हैं । अतः, इस प्रकार सभी पेंशनभोगी केवल एक समरूप वर्ग गठित करते हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि सभी पेंशनभोगी समग्र रूप से केवल एक वर्ग गठित करते हैं । राज्य सरकार ने, निर्वाह व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन की मात्रा में और अपने कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की । राज्य सरकार ने निर्वाह व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी, 1996 से पेंशन-मान/पेंशन की मात्रा में भी वृद्धि की । तथापि, राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित पेंशन का फायदा अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ कट-ऑफ तारीख का उपबंध किया और उन कर्मचारियों को, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, पेंशन के पुनरीक्षण से वंचित रखा । इन पेंशनभोगियों के बीच, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन के पुनरीक्षण का फायदा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ किया गया उपरोक्त वर्गीकरण इस अपील की विषयवस्तु है । जैसा कि इसमें इसके ऊपर मत व्यक्त किया गया है, राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त वर्गीकरण को एकमात्र वित्तीय मजबूरी के आधार पर न्यायोचित ठहराने की ईप्सा की गई है । (पैरा 7)

पुनरीक्षित पेंशन अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ दो वर्गों का सृजन करने का कोई विधिमान्य न्यायौचित्य नहीं है, अर्थात्, एक वर्ग उन

कर्मचारियों का, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और दूसरा वर्ग उन कर्मचारियों का जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं । ऐसे वर्गीकरण का पुनरीक्षित पेंशन का फायदा अनुदत्त करने के उद्देश्य और प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है । सभी पेंशनभोगी एक वर्ग गठित करते हैं जो कि पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार हैं । भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में समस्त लोगों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का आधार सुनिश्चित किया गया है । इस प्रक्रम पर, विधिमान्य वर्गीकरण की संकल्पना की परीक्षा करना भी आवश्यक है । एक विधिमान्य वर्गीकरण सही तौर पर एक विधिमान्य विभेद होता है । यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 16 में विधिमान्य वर्गीकरण अनुज्ञात किया गया है । तथापि, वह वर्गीकरण किसी न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए । न्यायसंगत उद्देश्य द्वारा जिस परिणाम की प्राप्ति की जाती है उसमें अन्य व्यक्तियों के मुकाबले विभेदकारी विचारणा/व्यवहार के लिए कुछ लोगों की पसन्द की पूर्वकल्पना की जाती है । किसी वर्गीकरण को विधिमान्य होने के लिए आवश्यक रूप से दो कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए । प्रथमतः विभेदकारी तर्काधार किसी न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए और द्वितीयतः व्यक्तियों के एक समूह को किसी दूसरे समूह से विभेद करने संबंधी विकल्प का उस उद्देश्य से युक्तिसंगत संबंध अवश्य होना चाहिए जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । किसी विधिमान्य वर्गीकरण की कसौटी को ऐसे विभेद के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है, जो किसी ऐसे सुग्राह्य अंतर पर आधारित किसी वर्गीकरण के आधार पर किया गया हो, जिसका उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध है, जिसे पूरा करना ईप्सित है । अतः, जब कभी पेंशनभोगियों के एक समूह को दूसरे समूह के मुकाबले लाभदायक प्रतिफल प्रदान करने के लिए वर्गीकृत करने हेतु कोई कट-ऑफ तारीख नियत की जाती है (जैसा कि प्रस्तुत संविवाद में किया गया है) तब विधिमान्य वर्गीकरण या विधिमान्य विभेद के लिए दोहरी कसौटी अवश्य पूरी की जानी चाहिए । प्रस्तुत मामले में, प्रश्नगत वर्गीकरण का उस उद्देश्य से कोई युक्तिसंगत संबंध नहीं है जो पेंशन को पुनरीक्षित करते समय पूरा किया जाना ईप्सित है । पेंशन को पुनरीक्षित करने का उद्देश्य और प्रयोजन निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण है । सभी पेंशनभोगी एक ही वर्ग गठित करते हैं और इसलिए पुनरीक्षित पेंशन के अनुदान के

प्रयोजनार्थ ऐसा वर्गीकरण अयुक्तियुक्त, मनमाना, विभेदकारी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है । राज्य फायदे, विशेष रूप से पेंशनिक फायदे प्रदान करने के लिए समरूप स्थिति वाले व्यक्तियों में से मनमाने रूप से कोई कट-ऑफ तारीख का चयन नहीं कर सकता है । जब समरूप स्थिति वाले वर्ग के साथ किसी फायदे के अनुदान के लिए विभेद किया जाता है तब ऐसा वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए । इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा विनिश्चय निर्वाह व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन को पुनरीक्षित करने के लिए लिया गया है । निर्वाह व्यय में वृद्धि से समस्त पेंशनभोगियों पर चाहे वे 1996 से पूर्व या 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । जैसा कि इसमें इसके ऊपर मत व्यक्त किया गया है सभी पेंशनभोगी एक वर्ग के हैं । अतः, ऐसे वर्गीकरण/कट-ऑफ तारीख द्वारा समान व्यक्तियों को असमान माना गया है और इसलिए ऐसा वर्गीकरण जिसका पेंशन के पुनरीक्षण के उद्देश्य और प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है, अयुक्तिसंगत, विभेदकारी, मनमाना है और इसलिए उक्त वर्गीकरण को उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा ठीक ही अपास्त कर दिया गया था । इस प्रक्रम पर, यह मताभिव्यक्ति करना आवश्यक है कि जब कभी कोई नया फायदा प्रदान किया जाता है और/या नई स्कीम आरंभ की जाती है तब राज्य के लिए यह संभव हो सकता है कि वह अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कट-ऑफ तारीख का उपबंध करे । किन्तु वह एक और किसी अकेले वर्ग के व्यक्तियों की बाबत लागू नहीं होगी कि इसका फायदा व्यक्तियों के किसी ऐसे एक वर्ग को दिया जाए, जो पहले ही अन्यथा फायदे प्राप्त कर रहा है कि और प्रश्न केवल पुनरीक्षण की बाबत है । (पैरा 8)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) 3 एस. सी. सी. 772 : **कलाक्कुरिची तालुक रिटायर्ड आफिशियल्स एसोसिएशन, तमिलनाडु और अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ;	5,7

[2005] (2005) 6 एस. सी. सी. 754 :
पंजाब राज्य और अन्य बनाम **अमर नाथ गोयल और अन्य** ; 4,5,7

[1999] (1999) 3 एस. सी. सी. 414 :
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड बनाम **आर. वीरास्वामी और अन्य** ; 4,5,7

[1998] (1998) 6 एस. सी. सी. 328 :
हरी राम गुप्ता (मृत) एल. आर. कस्तूरी देवी के माध्यम से बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 4,5,7

[1997] (1997) 2 एस. सी. सी. 342:
राजस्थान राज्य बनाम **अमृत लाल गांधी** ; 5,7

[1994] (1994) 4 एस. सी. सी. 68 :
भारत संघ बनाम **पी. एन. मेनन** ; 5,7

[1991] (1991) 2 एस. सी. सी. 104 :
इंडियन एक्स-सर्विसेज़ लीग बनाम **भारत संघ** ; 5,7

[1983] [1983] 2 उम. नि. प. 1045 =
(1983) 1 एस. सी. सी. 305 : 2,4,5,
डी. एस. नकारा और अन्य बनाम **भारत संघ** । 6,7,9

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2016 की सिविल अपील सं. 10857.

2006 कि रिट अपील सं. 28 में मणिपुर उच्च न्यायालय की इम्फाल न्यायपीठ के तारीख 1 मार्च, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री आर. बालासुब्रमण्यन्, ज्येष्ठ अधिवक्ता और अनंग भट्टाचार्य

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री संतोष हेग्ड़े, ज्येष्ठ अधिवक्ता, आशुतोष दूबे, अभिषेक चौहान, राजेन्द्र, (सुश्री) आर. दूबे, मनीष खुराना, सुशील पांडे और अशोक कुमार सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – मूल याचियों ने, मणिपुर उच्च न्यायालय की इम्फाल पीठ की खंड न्यायपीठ द्वारा 2006 की रिट अपील सं. 28 में पारित तारीख 1 मार्च, 2016 के उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा फाइल की गई उक्त अपील मंजूर कर ली है और 2000 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1455 में विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 24 मार्च, 2005 के उस निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया, जिसके द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि तारीख 24 अप्रैल, 1999 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4.1 में 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की बाबत पुनरीक्षित पेंशन की संगणना करने की रीति उन सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिनकी सेवानिवृत्ति/कर्तव्य के दौरान मृत्यु 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् हुई है, पुनरीक्षित पेंशन की संगणना करने की रीति भिन्न-भिन्न है, जो कि मनमानी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की अतिक्रमणकारी है, प्रस्तुत अपील फाइल की है ।

2. प्रस्तुत अपील को उद्भूत करने वाले तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित रूप में हैं :–

> मणिपुर राज्य ने समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 अंगीकार किए । केन्द्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 के नियम 49 के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो कम से कम 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात्, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त हुआ है, पेंशन की रकम की गणना अधिकतम 4,500/- रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए औसत उपलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर की जाएगी । ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर सरकार ने निर्वाह व्यय में वृद्धि पर विचार करते हुए, कर्मचारियों की पेंशन तथा उनके वेतन में वृद्धि करने का विनिश्चय किया । मणिपुर सरकार ने पेंशन की मात्रा को पुनरीक्षित करते हुए तारीख 21 अप्रैल, 1999 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया । तथापि, उसमें यह उपबंध किया

गया कि मणिपुर सरकार के वे कर्मचारी, जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, उच्चतर प्रतिशत दर पर पुनरीक्षित पेंशन पाने के हकदार होंगे और जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, वे निम्नतर प्रतिशत दर पर हकदार होंगे ।

2.1. आल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन ने, जो कि इस मामले में अपीलार्थी है, तारीख 21 अप्रैल, 1999 के उस कार्यालय ज्ञापन से व्यथित महसूस करते हुए, जिसमें दो भिन्न-भिन्न पुनरीक्षित पेंशनों का उपबंध किया गया है, अर्थात्, उन सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, उच्चतर प्रतिशत दर पर पुनरीक्षित पेंशन और जो सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके लिए निम्नतर प्रतिशत दर पर पुनरीक्षित पेंशन – 2000 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1455 द्वारा मणिपुर उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष समावेदन किया । मूल रिट याचियों की ओर से यह पक्षकथन किया गया था कि सभी पेंशनभोगी, जो 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं और जो 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, समग्र रूप से एक वर्ग गठित करते हैं और इसलिए पुनरीक्षित पेंशन का फायदा अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ 1 जनवरी, 1996 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले तथा 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीच किया गया वर्गीकरण मनमाना, अयुक्तियुक्त और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है । यह दलील दी गई कि सेवानिवृत्ति की तारीख ही वर्गीकरण के लिए मानदंड गठित नहीं कर सकती है । विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष **डी. एस. नकारा और अन्य** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का जोरदार अवलंब लिया गया । विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष फाइल की गई रिट याचिका का राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया और उपर्युक्त वर्गीकरण को एकमात्र इस आधार पर न्यायोचित ठहराने की ईप्सा की गई थी कि राज्य की वित्तीय मजबूरियों पर विचार

---

[1] [1983] 2 उम. नि. प. 1045 = (1983) 1 एस. सी. सी. 305.

करते हुए राज्य सरकार का उन कर्मचारियों को, जो 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं और जो 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भिन्न-भिन्न पुनरीक्षित पेंशन अनुदत्त करना न्यायोचित था । राज्य की ओर से यह पक्षकथन किया गया था कि राज्य की वित्तीय मजबूरियों पर विचार करते हुए राज्य ऐसी स्थिति में नहीं था कि भारत सरकार द्वारा उसके तारीख 17 दिसम्बर, 1998 के ज्ञापन में दी गई प्रतिशतता का फायदा 1996 के पूर्व के पेंशनभोगियों को प्रदान किया जा सके और तद्नुसार 1996 के पूर्व के पेंशनभोगियों के लिए कतिपय प्रतिशत दर पर और 1996 के पश्चात् वाले पेंशनभोगियों के लिए उच्चतर प्रतिशत दर पर पुनरीक्षित पेंशन का फायदा अनुदत्त करने का विनिश्चय किया गया । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए तारीख 24 मार्च, 2005 के निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका मंजूर कर ली और यह अभिनिर्धारित किया कि 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले और 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के बीच किया गया वर्गीकरण मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार को यह निदेश दिया कि सभी पेंशनभोगियों को, किसी कट-ऑफ तारीख पर विचार किए बिना, अर्थात्, चाहे वे 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं या 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, एकसमान पुनरीक्षित पेंशन का संदाय किया जाए ।

2.2. राज्य ने, 2000 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1455 में विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 24 मार्च, 2005 के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 1 मार्च, 2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह मत व्यक्त करते हुए उक्त अपील मंजूर कर ली और विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त कर दिया कि यह वर्गीकरण अनुज्ञेय है और राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करते हुए कट-ऑफ तारीख लागू की जा सकती है । खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

राज्य सरकार द्वारा 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले और 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुनरीक्षित पेंशन का संदाय करने के लिए 1 जनवरी, 1996 के रूप में नियत की गई कट-ऑफ तारीख को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखते हुए अयुक्तियुक्त या अतर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है और इसलिए उसे अविधिमान्य अभिनिर्धारित करना आवश्यक नहीं है ।

3. उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याचियों ने प्रस्तुत अपील फाइल की है ।

4. प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन् उपस्थित हुए और राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेग्ड़े उपस्थित हुए ।

4.1. अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशऩ की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन् ने बलपूर्वक यह दलील दी है कि मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अपील को मंजूर करके और उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त करके और पेंशनभोगियों के दो वर्गों का सृजन करने का अनुमोदन करके, अर्थात्, पेंशन के पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ 1996 से पूर्व सेवीनिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वर्ग में और 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दूसरे वर्ग में रखकर, जो कि इस न्यायालय के अनेक विनिश्चयों, जिनके अंतर्गत **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय भी है, के प्रतिकूल है, तात्विक रूप से गलती की है ।

4.2. अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशऩ की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन् द्वारा इसके अतिरिक्त यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण न करके तात्विक रूप से गलती की है । यह दलील दी गई है कि उच्च न्यायालय की खड न्यायपीठ ने इस तथ्य का उचित रूप से

मूल्यांकन नहीं किया है कि **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को किसी भी पश्चात्वर्ती विनिश्चय में कमज़ोर नहीं किया गया है और वह विनिश्चय अब भी कायम है । यह दलील दी गई है कि **हरी राम गुप्ता (मृत) एल. आर. कस्तूरी देवी के माध्यम से** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1], **तमिलनाडु विद्युत बोर्ड** बनाम **आर. वीरास्वामी और अन्य**[2], **पंजाब राज्य और अन्य** बनाम **अमर नाथ गोयल और अन्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चय, जिन पर उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण न करते समय विचार किया था, प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होंगे और उपर्युक्त सभी विनिश्चय स्पष्ट रूप से प्रभेदनीय हैं ।

4.3. अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन् द्वारा आगे यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस तथ्य का समुचित रूप से मूल्यांकन न करके गलती की है कि सभी पेंशनभोगी समग्र रूप से एक वर्ग गठित करते हैं और इसलिए उन्हें इस प्रयोजनार्थ दो भागों में विभाजित/दो समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है कि एक समूह के मुकाबले दूसरे समूह को अधिक वित्तीय फायदे प्रदान किए जा सकें । यह दलील दी गई है कि उनमें विभेद करने और/या जो केवल एक वर्ग के कर्मचारी हैं उनमें दो वर्ग सृजित करने के लिए, राज्य की वित्तीय परेशानी/मजबूरी कोई आधार नहीं हो सकता है ।

4.4. अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन् ने इसके अलावा यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है कि सभी पेंशनभोगी, चाहे वे 1996 से पूर्व या 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन नियमों द्वारा शासित होते हैं और पेंशन के हकदार हैं और इसलिए वे समग्र रूप से एक ही वर्ग गठित

---

[1] (1998) 6 एस. सी. सी. 328.

[2] (1999) 3 एस. सी. सी. 414.

[3] (2005) 6 एस. सी. सी. 754.

करते हैं तथा इसलिए सभी पेंशनभोगी, पेंशन संबंधी समान फायदों के हकदार हैं चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो ।

4.5. अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन् ने इसके अलावा यह दलील दी कि जैसाकि इस न्यायालय द्वारा **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में (पैरा 42) अभिनिर्धारित किया गया है, वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और तर्कसंगत सिद्धात का उन उद्देश्यों से संबंध होना चाहिए जिन्हें पूरा करने की ईप्सा की गई है । यह दलील दी गई है कि यदि राज्य सरकार ने निर्वाह व्यय में वृद्धि और अन्य कारणों से पेंशन को पुनरीक्षित करना आवश्यक समझा था तो केवल उन कर्मचारियों को, जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, पुनरीक्षित पेंशन अनुदत्त करने और इसके साथ-साथ उन कर्मचारियों को, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, इससे वंचित करने के पीछे कोई तर्कसंगत सिद्धांत नहीं है । यह जोरदार दलील दी गई है कि यदि निर्वाह व्यय की लागत में वृद्धि, आदि के कारण पेंशन को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता थी तो उन कर्मचारियों को, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, पुनरीक्षित पेंशन के फायदे से वंचित करने का कोई कारण नहीं है । यह दलील दी गई है कि यह पुनरीक्षण, जिसके द्वारा पेंशन को दो वर्गो में वर्गीकृत किया गया है, किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है । यह दलील दी गई है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, यदि तर्कसंगत सिद्धांत, पेंशनभोगियों को इस दृष्टि से विभाजित करना है जिससे कि उन व्यक्तियों को, जो अन्यथा समान स्थिति में हैं, कुछ अधिक फायदा दिया जा सके, तो ऐसा करना विभेदकारी होगा । यह दलील दी गई है कि इस मनमाने विभाजन का पेंशन के पुनरीक्षण से कोई संबंध नहीं है बल्कि यह अनुत्पादक है और यह पेंशन स्कीम के समस्त पहलुओं, विशेषकर पेंशन के पुनरीक्षण के प्रतिकूल भी है ।

4.6. अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन् ने इसके अलावा यह दलील दी कि राज्य द्वारा पुनरीक्षित पेंशन का संदाय करने के प्रयोजनों के लिए दो वर्गों का सृजन करने के लिए, अर्थात्, एक वे कर्मचारी, जो

1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं तथा दूसरा वे कर्मचारी जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, जो एकमात्र औचित्य दिया गया है वह वित्तीय मजबूरी है । यह दलील दी गई है कि उपर्युक्त औचित्य का पेंशन के पुनरीक्षण के उद्देश्य और प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है । अतः, यह दलील दी गई है कि ऐसा वर्गीकरण पूर्णतः मनमाना है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमणकारी है । यह दलील दी गई है कि इस प्रकार उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश का पेंशन के पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ दो वर्गों के सृजन को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी ठहराना न्यायोचित था ।

4.7. अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन् ने इसके अलावा यह दलील दी कि पेंशन को पुनरीक्षित करने के उद्देश्य और प्रयोजन, अर्थात् निर्वाह व्यय में वृद्धि, को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त करने और यह अभिनिर्धारित करने में तात्विक रूप से गलती की है कि चूंकि राज्य के पास समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एकसमान पेंशन का संदाय करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं इसलिए राज्य सरकार द्वारा 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले और 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुनरीक्षित पेंशन का संदाय करने के लिए 1 जनवरी, 1996 के रूप में नियत की गई कट-ऑफ तारीख को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखते हुए अयुक्तियुक्त या अतर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है । यह दलील दी गई है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अभिलिखित उपर्युक्त निष्कर्ष **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय और ऐसे अन्य विनिश्चयों के पूर्णतः प्रतिकूल है, जिनमें **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण किया गया है ।

4.8. अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बालासुब्रमण्यन ने इसके अलावा यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले में **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले

में इस न्यायालय का विनिश्चय इस मामले के तथ्यों को पूर्ण रूप से लागू होता है । इसलिए यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त करके तात्विक रूप से त्रुटि की है जिसके द्वारा पेंशन के पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ दो समूहों का सृजन करने वाले राज्य सरकार के विनिश्चय को मनमाना, अयुक्तियुक्त और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी ठहराया गया था ।

4.9. उपर्युक्त दलीलें देते हुए और **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का दृढ़तापूर्वक अवलंब लेते हुए यह प्रार्थना की गई है कि प्रस्तुत अपील मंजूर कर ली जाए ।

5. प्रस्तुत अपील का प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेग्ड़े द्वारा जोरदार विरोध किया गया है ।

5.1. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेग्ड़े द्वारा बलपूर्वक यह दलील दी गई कि मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय द्वारा **हरी राम गुप्ता** (उपर्युक्त), **आर. वीरास्वामी** (उपर्युक्त) और **अमर नाथ गोयल** (उपर्युक्त) वाले मामलों में की गई मताभिव्यक्तियों पर विचार करने के पश्चात्, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन के प्रयोजनार्थ नियत की गई कट-ऑफ तारीख को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखते हुए अयुक्तियुक्त या अतर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है ।

5.2. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेग्ड़े द्वारा आगे यह दलील दी गई कि **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय, जिसका अपीलार्थी-पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोरदार अवलंब लिया गया है, बाद में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उद्भूत हुआ और यह मत व्यक्त किया गया है कि **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का

विनिश्चय एक ऐसा विनिश्चय है जो सीमित रूप में लागू होता है और उस विनिश्चय की व्याप्ति को इतना विस्तारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई सभी स्कीमें या सेवानिवृत्ति की तारीख को विचार में लाए बिना, पेंशन की समान रकम से संबंधित मांग इसके अंतर्गत आ जाएं । प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेग्ड़े ने अपनी उपर्युक्त दलील के समर्थन में **इंडियन एक्स-सर्विसेज़ लीग** बनाम **भारत संघ**[1], **भारत संघ** बनाम **पी. एन. मेनन**[2] और **राजस्थान राज्य** बनाम **अमृत लाल गांधी**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चय का जोरदार अवलंब लिया है ।

5.3. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेग्ड़े ने अपनी इस दलील के समर्थन में कि कुछ पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित पेंशन का फायदा अनुदत्त करने के लिए वित्तीय मजबूरी एक विधिमान्य आधार हो सकता है और राज्य सरकार कट-ऑफ तारीख का उपबंध करके पुनरीक्षित पेंशन का फायदा अनुदत्त करने के लिए अपनी वित्तीय मजबूरी का ध्यान रखने के लिए सदैव स्वतंत्र है, **कलाक्कुरिची तालुक रिटायर्ड आफिशियल्स एसोसिएशन, तमिलनाडु और अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[4] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ मताभिव्यक्तियों का भी जोरदार अवलंब लिया है । अतः यह दलील दी गई कि पुनरीक्षित पेंशन का फायदा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ ऐसा वर्गीकरण और/या दो समूहों का सृजन करना अयुक्तियुक्त, अतर्कसंगत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से दलील देने की ईप्सा की गई है ।

5.4. उपर्युक्त दलीलें देते हुए और उपरोक्त विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए यह प्रार्थना की गई कि प्रस्तुत अपील खारिज कर दी जाए ।

---

[1] (1991) 2 एस. सी. सी. 104.

[2] (1994) 4 एस. सी. सी. 68.

[3] (1997) 2 एस. सी. सी. 342.

[4] (2013) 3 एस. सी. सी. 772.

6. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की विस्तारपूर्वक सुनवाई की है ।

6.1. यह निर्विवाद्य है कि मणिपुर राज्य ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों को अंगीकार किया जिससे कि उन्हें मणिपुर राज्य में लागू किया जा सके । अतः पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार और अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी सेवक पेंशन/पेंशनिक फायदों के हकदार हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने निर्वाह व्यय में वृद्धि पर विचार करते हुए अपने कर्मचारियों की पेंशन में 1 जनवरी, 1996 से वृद्धि/पुनरीक्षण कर दिया, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की दशा में किया गया था । तथापि, पेंशन का यह पुनरीक्षण भिन्न रूप में किया गया था, अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और 1 जनवरी, 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए भिन्न-भिन्न किया गया था । परिणामस्वरूप, राज्य ने उन कर्मचारियों को जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, वृद्धि की निम्नतर प्रतिशत का उपबंध किया और उन कर्मचारियों के लिए, जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, वृद्धि की उच्चतर प्रतिशत का उपबंध किया । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के समता खंड को ध्यान में रखते हुए, ऐसा वर्गीकरण विधि की दृष्टि से अनुज्ञेय नहीं है । तथापि, अपील करने पर, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश के विनिश्चय को उलट दिया और यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया कि चूंकि प्रस्तुत मामले में राज्य के पास सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक समान पेंशन का संदाय करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं है इसलिए राज्य सरकार द्वारा 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले और 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पुनरीक्षित पेंशन का संदाय करने के लिए 1 जनवरी, 1996 के रूप में नियत की गई कट-ऑफ तारीख को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखते हुए अयुक्तियुक्त और अतर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के

विनिश्चय का **आर. वीरास्वामी** (उपर्युक्त), **अमर नाथ गोयल** (उपर्युक्त) और **पी. एन. मेनन** (उपर्युक्त) वाले पश्चात्वर्ती विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा इस आशय की कुछ मताभिव्यक्तियों पर विचार करते हुए अनुसरण नहीं किया है कि **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में किया गया विनिश्चय एक ऐसा विनिश्चय है जो सीमित रूप से लागू होता है और उस विनिश्चय की व्याप्ति को इतना विस्तारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई सभी स्कीमें या सेवानिवृत्ति की तारीख को विचार में लाए बिना, पेंशन की समान रकम से संबंधित मांग इसके अंतर्गत आ जाएं ।

6.2. उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याचियों - आल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन - कर्मचारियों/पेंशनभोगियों ने, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, प्रस्तुत अपील फाइल की है ।

7. इस न्यायालय के समक्ष जो संक्षिप्त प्रश्न विचारार्थ उद्भूत हुआ है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय लागू होगा अथवा नहीं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकार द्वारा एकमात्र वित्तीय मजबूरी के आधार पर पुनरीक्षित पेंशन का संदाय करने के प्रयोजनार्थ पेंशनभोगियों के दो प्रवर्गों का, अर्थात्, एक प्रवर्ग 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए और दूसरा प्रवर्ग 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, सृजन करना न्यायोचित था और ऐसा वर्गीकरण मनमाना, अयुक्तियुक्त और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है अथवा नहीं ?

7.1. आरंभ में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले में राज्य सरकार ने पुनरीक्षित पेंशन का संदाय करने के लिए कट-ऑफ तारीख को एकमात्र वित्तीय मजबूरी के आधार पर न्यायोचित ठहराया है । राज्य ने वर्गीकरण को किसी अन्य आधार पर न्यायोचित ठहराने का प्रयास नहीं किया है । इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उद्भूत उपर्युक्त प्रश्न पर उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में विचार करने की

आवश्यकता है ।

7.2. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों को अंगीकार किया है जिससे कि उन्हें मणिपुर राज्य को लागू किया जा सके । राज्य ने मणिपुर सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1977 भी बनाए हैं । इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि अर्हक सेवा पूरी करने के अधीन रहते हुए पेंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक पेंशन के हकदार हैं । अतः, इस प्रकार सभी पेंशनभोगी केवल एक समरूप वर्ग गठित करते हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि सभी पेंशनभोगी समग्र रूप से केवल एक वर्ग गठित करते हैं । राज्य सरकार ने, निर्वाह व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन की मात्रा में और अपने कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की । राज्य सरकार ने निर्वाह व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी, 1996 से पेंशन-मान/पेंशन की मात्रा में भी वृद्धि की । तथापि, राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित पेंशन का फायदा अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ कट-ऑफ तारीख का उपबंध किया और उन कर्मचारियों को, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, पेंशन के पुनरीक्षण से वंचित रखा । इन पेंशनभोगियों के बीच, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन के पुनरीक्षण का फायदा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ किया गया उपरोक्त वर्गीकरण इस अपील की विषयवस्तु है । जैसा कि इसमें इसके ऊपर मत व्यक्त किया गया है, राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त वर्गीकरण को एकमात्र वित्तीय मजबूरी के आधार पर न्यायोचित ठहराने की ईप्सा की गई है ।

7.3. आरंभ में, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में ऐसे वर्गीकरण को मनमाना, अयुक्तियुक्त, अतर्कसंगत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी ठहराया गया है । इस न्यायालय ने **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में, पैरा 42 और पैरा 65 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया है :-

"42. यदि यह निर्विवाद प्रतीत होता है, जैसा कि हमें प्रतीत

होता है कि पेंशन प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए पेंशनभोगी एक वर्ग में आते हैं तो क्या इसका आगे की दशा में पुनरीक्षण करने से पात्रता की कसौटी द्वारा, जोकि पुनरीक्षण के प्रयोजन से संबद्ध नहीं है, एक वर्ग को विभाजित किया जा सकता है और क्या ऐसा वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित हो सकता है ? यह सुस्थिर है कि वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और तर्कसंगत सिद्धांत का संबंध प्राप्तवय उद्देश्यों से अवश्य होना चाहिए । हम पेंशन के संदाय में अंतर्निहित उद्देश्यों का उल्लेख कर चुके हैं । यदि राज्य ने पेंशन स्कीम को उदार बनाना आवश्यक समझा तो हमें कोई तर्कसंगत सिद्धांत दिखाई नहीं पड़ता कि ये प्रसुविधाएं केवल उन लोगों को दी जाएं जो उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त हों जब कि उन लोगों को उनसे वंचित रखा जाए जो उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं । यदि स्कीम को उदार बनाना सरकारी सेवकों की वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक समझा गया तो जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे बाद में सेवानिवृत्त होने वालों से बुरी स्थिति में नहीं रखे जा सकते । अतः यह विभाजन जो पेंशनभोगियों को दो वर्गों में वर्गीकृत करता है, किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है और यदि तर्कसंगत सिद्धांत पेंशनभोगियों को विभाजित करने वाला है जिससे कि अन्यथा समान स्थिति वाले व्यक्तियों को कुछ अधिक दिया जा सके तो यह विभेदकारी होगा, उदाहरणार्थ, दो व्यक्तियों को लीजिए, एक तो वह जो ठीक एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और दूसरा जो विनिर्दिष्ट तारीख से ठीक एक दिन बाद । दोनों एक ही वेतन कोष्ठक में थे, औसत उपलब्धियां एक थीं और दोनों ने बराबर-बराबर वर्षों तक सेवा की । एक दिन पहले या बाद में सेवानिवृत्त होने की एक आकस्मिक परिस्थिति के अंतर्गत पेंशन के विषय में एकदम असमान व्यवहार कैसे किया जा सकता है । एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाला 8,100/- रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन होगा और औसत उपलब्धि 36 मास के वेतन के आधार पर निकाली जाएगी, जबकि दूसरे को 12,000/- रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा मिल जाएगी और औसत उपलब्धि अंतिम 10 मास के औसत पर निकाली जाएगी ।

कृत्रिम विभाजन अपने आप बोलता है और किसी भी सिद्धांत से संबद्ध होता है । इस प्रकार यदि कोई सिद्धांत है तो उसका पेंशन स्कीम को उदार बनाकर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है । वस्तुतः यह मनमाना विभाजन उदारीकृत पेंशन स्कीम से असंबद्ध ही नहीं है बल्कि यह उत्पादकता विरोधी है और पेंशन स्कीम के संपूर्ण प्रयास को विफल बनाने वाला है । अनुच्छेद 14 के अधीन गारंटीकृत समान व्यवहार का पूर्णतः उल्लंघन हुआ है जहां तक कि पेंशन नियम कानूनी स्वरूप के हैं क्योंकि वह विनिर्दिष्ट तारीख नियमों के अनुसार पेंशन की संगणना के विषय के समान व्यक्तियों के साथ भिन्न-भिन्न और विभेदात्मक व्यवहार करती है । सेवानिवृत्ति के मामले में 48 घंटों का अंतर होने से घातक परिणाम निकलेगा । इस प्रकार विभाजन मनमाना और सिद्धांतविहीन दोनों है । अतः वर्गीकरण अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता ।

65. यात्रा यहीं समाप्त होती है । सामाजिक-आर्थिक न्याय के बढ़ते क्षितिजों, समाजवादी गणराज्य और कल्याणकारी राज्य जिसकी हम स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं, की दृष्टि से और इस तथ्य से प्रभावित होकर कि जो वृद्ध आदमी उस समय सेवानिवृत्त होते हैं जब उनकी उपलब्धियां अपेक्षाकृत कम होती हैं और उन्हें निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्फीतिकारी निवेशों के फलस्वरूप रुपये का मूल्य घटता जा रहा है, हमारा समाधान हो गया है कि उदारीकृत पेंशन स्कीम के लिए पात्र होने के लिए मनमानी पात्रता कसौटी लागू करके जोकि सेवा में है और जो विनिर्दिष्ट तारीख के बाद सेवानिवृत्त होंगे तथा इसके द्वारा एकरूप वर्ग को विभाजित करके, क्योंकि वर्गीकरण किसी विवेकपूर्ण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है और जिसे उदारीकृत पेंशन से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से पूर्णतः असंबद्ध पाया गया है और जो पात्रता कसौटी अपनाई गई है, वह सर्वथा मनमानी है । इसलिए हमारा मत है कि आक्षेपित ज्ञापन, अर्थात् प्रदर्श पी 1 और पी 2 में उदारीकृत पेंशन स्कीम के लिए, यह पात्रता कि विनिर्दिष्ट तारीख को सेवा में हो और उस तारीख के

बाद सेवानिवृत्त होंगे, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और असांविधानिक है तथा अवैध घोषित की जाती है । दोनों ज्ञापन निम्नलिखित रूप में प्रवर्तित और कार्यान्वित किए जाएंगे । दूसरे शब्दों में, प्रदर्श पी-1 में ये शब्द –

> "कि उन सरकारी सेवकों की बाबत जो 31 मार्च, 1979 को सेवा में थे और उस तारीख को या के बाद सेवानिवृत्त होंगे ।"

तथा प्रदर्श पी-2 में ये शब्द –

> "पेंशन की नई दरें 1 अप्रैल, 1979 से लागू की जाती हैं और उन सब सेवा अधिकारियों को लागू होंगी जो उस तारीख को या के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं या होंगे ।"

असांविधानिक हैं और इस विनिर्देश के साथ अवैध घोषित किए जाते हैं कि उनमें वर्णित तारीख उस तारीख के रूप में सुसंगत होगी जिससे उदारीकृत पेंशन स्कीम सेवानिवृत्ति की तारीख को ध्यान में रखे बिना 1972 के नियमों के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनभोगियों को लागू होती है । असांविधानिक अंश को निकालते हुए घोषणा की जाती है कि 1972 के नियमों और सेना पेंशन विनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनभोगी, सेवानिवृत्ति की तारीख को ध्यान में रखे बिना, विनिर्दिष्ट तारीख से उदारीकृत पेंशन स्कीम के अनुसार निकाली गई पेंशन के लिए हकदार होंगे । नई संगणना के अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले की पेंशन की बकाया ग्राह्य नहीं है । इस आशय का रिट जारी किया जाए । किन्तु मामले की परिस्थितियों में खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा ।"

7.4. जबकि प्रस्तुत अपीलार्थी द्वारा **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के पूर्वोक्त विनिश्चय का अवलंब लिया गया था और इसलिए विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा इस पर विचार किया गया था और इसका अनुसरण किया गया था किन्तु खंड न्यायपीठ ने **हरी राम गुप्ता** (उपर्युक्त), **आर. वीरास्वामी** (उपर्युक्त), **अमर नाथ गोयल** (उपर्युक्त) और **पी. एन. मेनन** (उपर्युक्त) वाले मामलों में की गई

कुछ मताभिव्यक्तियों पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय एक ऐसा विनिश्चय है जो सीमित रूप में लागू होता है और उस विनिश्चय की व्याप्ति को इतना विस्तारित करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई सभी स्कीमें या सेवानिवृत्ति की तारीख को विचार में लाए बिना, पेंशन की समान रकम से संबंधित मांग इसके अंतर्गत आ जाएं । तथापि, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने पूर्वोक्त विनिश्चयों, अर्थात्, **पी. एन. मेनन** (उपर्युक्त) और अन्य विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ मताभिव्यक्तियों पर विचार करते हुए **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण न करके पूर्वोक्त विनिश्चयों में प्रभेदनीय तथ्यों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है ।

7.5. **पी. एन. मेनन** (उपर्युक्त) वाले मामले में संविवाद बिल्कुल भिन्न था । जहां तक **पी. एन. मेनन** (उपर्युक्त) वाले मामले का संबंध है, जिस तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता है वह यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जब सेवा से निवृत्त हुए थे वे कभी भी "महंगाई वेतन" प्राप्त नहीं कर रहे थे और इसलिए प्रश्नगत कार्यालय ज्ञापन उन्हें लागू नहीं किया जा सका था । इस न्यायालय ने इस मामले की इस प्रकार परीक्षा की । इस न्यायालय ने यह भी अवेक्षा की कि प्रश्नगत कार्यालय ज्ञापन से पूर्व पेंशन स्कीम अभिदायी थी और 22 सितम्बर, 1977 से ही उस पेंशन स्कीम को गैर-अभिदायी बनाया गया था । चूंकि प्रथम उद्धृत मामले में प्रत्यर्थी कर्मचारी इस स्कीम को प्रारंभ करने के समय सेवा में नहीं थे इसलिए उन्हें उक्त फायदे के लिए पात्र नहीं ठहराया गया था । अतः उक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों को, विशेष रूप से **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय पर विचार करते समय और/या उसे लागू करते समय लागू नहीं होगा ।

7.6. **अमृत लाल गांधी** (उपर्युक्त) वाले मामले में जोधपुर विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट द्वारा पारित संकल्प के आधार पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए प्रथम बार पेंशन आरंभ की गई

थी । राज्य सरकार द्वारा तारीख 1 जनवरी, 1990 से इसका अनुमोदन किया गया था । अतः, उस मामले में पेंशनभोगियों के एक समूह का पेंशनभोगियों के दूसरे समूह के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का अभिकथन करने संबंधी संविवाद नहीं था । आरंभ में कोई पेंशनभोगी नहीं था । सेवानिवृत्त कर्मचारी विद्यमान भविष्य निधि स्कीम के अधीन भविष्य निधि के हकदार थे । उक्त विनिश्चय में पेंशनभोगियों के एक समूह के साथ पेंशनभोगियों के दूसरे समूह के मुकाबले भेदभाव बरतने का प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ था । पूर्वोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि वित्तीय व्यवहार्यता एक सुसंगत विवाद्यक है ।

7.7. इसी प्रकार, **इंडियन एक्स-सर्विसेज़ लीग** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होगा । इस मामले के तथ्य और **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले के तथ्यों से स्पष्टतः प्रभेदनीय है । **इंडियन एक्स-सर्विसेज़ लीग** (उपर्युक्त) वाले मामले में भविष्य निधि के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले और पेंशन सहित सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की बाबत विवाद था और इस संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भविष्य निधि के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और पेंशन सहित सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भिन्न-भिन्न वर्ग गठित करते हैं और इसलिए इस न्यायालय ने **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को प्रभेदित किया । अतः पूर्वोक्त विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों को बिल्कुल भी लागू नहीं होगा ।

7.8. इसी प्रकार, **हरी राम गुप्ता** (उपर्युक्त) और **कलाक्कुरिची तालुक रिटायर्ड आफिशियल्स एसोसिएशन, तमिलनाडु** (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चय भी प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होंगे ।

7.9. उपर्युक्त दृष्टिकोण से हमारा यह समाधान हो गया है कि प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए किसी भी निर्णय का प्रस्तुत संविवाद से कोई संबंध नहीं है । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **हरी राम गुप्ता** (उपर्युक्त), **आर.**

वीरास्वामी (उपर्युक्त), **अमर नाथ गोयल** (उपर्युक्त), **पी. एन. मेनन** (उपर्युक्त) और **अमृत लाल गांधी** (उपर्युक्त) वाले मामलों में प्रभेदनीय तथ्यों का मूल्यांकन और/या उन पर विचार न करके स्पष्ट रूप से गलती की है ।

8. अन्यथा गुणागुण के आधार पर भी हमारी यह दृढ़ राय है कि पुनरीक्षित पेंशन अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ दो वर्गों का सृजन करने का कोई विधिमान्य न्यायौचित्य नहीं है, अर्थात्, एक वर्ग उन कर्मचारियों का, जो 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और दूसरा वर्ग उन कर्मचारियों का जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं । हमारी राय में, ऐसे वर्गीकरण का पुनरीक्षित पेंशन का फायदा अनुदत्त करने के उद्देश्य और प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है । सभी पेंशनभोगी एक वर्ग गठित करते हैं जो कि पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार हैं । भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में समस्त लोगों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का आधार सुनिश्चित किया गया है । इस प्रक्रम पर, विधिमान्य वर्गीकरण की संकल्पना की परीक्षा करना भी आवश्यक है । एक विधिमान्य वर्गीकरण सही तौर पर एक विधिमान्य विभेद होता है । यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 16 में विधिमान्य वर्गीकरण अनुज्ञात किया गया है । तथापि, वह वर्गीकरण किसी न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए । न्यायसंगत उद्देश्य द्वारा जिस परिणाम की प्राप्ति की जाती है उसमें अन्य व्यक्तियों के मुकाबले विभेदकारी विचारणा/व्यवहार के लिए कुछ लोगों की पसन्द की पूर्वकल्पना की जाती है । किसी वर्गीकरण को विधिमान्य होने के लिए आवश्यक रूप से दो कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए । प्रथमतः विभेदकारी तर्काधार किसी न्यायसंगत उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए और द्वितीयतः व्यक्तियों के एक समूह को किसी दूसरे समूह से विभेद करने संबंधी विकल्प का उस उद्देश्य से युक्तिसंगत संबंध अवश्य होना चाहिए जिसे पूरा करने की ईप्सा की गई है । किसी विधिमान्य वर्गीकरण की कसौटी को ऐसे विभेद के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है, जो किसी ऐसे सुग्राह्य अंतर पर आधारित किसी वर्गीकरण के आधार पर किया गया हो, जिसका उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध है, जिसे पूरा करना ईप्सित है । अतः, जब कभी पेंशनभोगियों के एक समूह को दूसरे

समूह के मुकाबले लाभदायक प्रतिफल प्रदान करने के लिए वर्गीकृत करने हेतु कोई कट-ऑफ तारीख नियत की जाती है (जैसा कि प्रस्तुत संविवाद में किया गया है) तब विधिमान्य वर्गीकरण या विधिमान्य विभेद के लिए दोहरी कसौटी अवश्य पूरी की जानी चाहिए । प्रस्तुत मामले में, प्रश्नगत वर्गीकरण का उस उद्देश्य से कोई युक्तिसंगत संबंध नहीं है जो पेंशन को पुनरीक्षित करते समय पूरा किया जाना ईप्सित है । जैसा कि इसमें इसके ऊपर मत व्यक्त किया गया है, पेंशन को पुनरीक्षित करने का उद्देश्य और प्रयोजन निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण है । सभी पेंशनभोगी एक ही वर्ग गठित करते हैं और इसलिए पुनरीक्षित पेंशन के अनुदान के प्रयोजनार्थ ऐसा वर्गीकरण अयुक्तियुक्त, मनमाना, विभेदकारी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमणकारी है । राज्य फायदे, विशेष रूप से पेंशनिक फायदे प्रदान करने के लिए समरूप स्थिति वाले व्यक्तियों में से मनमाने रूप से कोई कट-ऑफ तारीख का चयन नहीं कर सकता है । जब समरूप स्थिति वाले वर्ग के साथ किसी फायदे के अनुदान के लिए विभेद किया जाता है तब ऐसा वर्गीकरण किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए ।

8.1. जैसा कि इसमें इसके ऊपर मत व्यक्त किया गया है और इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा विनिश्चय निर्वाह व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन को पुनरीक्षित करने के लिए लिया गया है । निर्वाह व्यय में वृद्धि से समस्त पेंशनभोगियों पर चाहे वे 1996 से पूर्व या 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । जैसा कि इसमें इसके ऊपर मत व्यक्त किया गया है सभी पेंशनभोगी एक वर्ग के हैं । अतः, ऐसे वर्गीकरण/कट-ऑफ तारीख द्वारा समान व्यक्तियों को असमान माना गया है और इसलिए ऐसा वर्गीकरण जिसका पेंशन के पुनरीक्षण के उद्देश्य और प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है, अयुक्तिसंगत, विभेदकारी, मनमाना है और इसलिए उक्त वर्गीकरण को उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा ठीक ही अपास्त कर दिया गया था । इस प्रक्रम पर, यह मताभिव्यक्ति करना आवश्यक है कि जब कभी कोई नया फायदा प्रदान किया जाता है और/या नई स्कीम आरंभ की जाती है तब राज्य के लिए यह संभव हो सकता है कि वह अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कट-

ऑफ तारीख का उपबंध करे । किन्तु वह एक और किसी अकेले वर्ग के व्यक्तियों की बाबत लागू नहीं होगी कि इसका फायदा व्यक्तियों के किसी ऐसे एक वर्ग को दिया जाए, जो पहले ही अन्यथा फायदे प्राप्त कर रहा है कि और प्रश्न केवल पुनरीक्षण की बाबत है ।

9. उपर्युक्त दृष्टिकोण से और ऊपर कथित कारणों से, हमारी यह राय है कि प्रस्तुत अपील में जो संविवाद/मुद्दा है वह पूर्ण रूप से **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के अंतर्गत आता है । **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय प्रस्तुत मामले के तथ्यों को पूर्ण बल से लागू होगा । उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **डी. एस. नकारा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण न करके स्पष्ट रूप से गलती की है और विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को उलटकर स्पष्ट रूप से गलती की है । खंड न्यायपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है और उसे अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए तथा तद्नुसार वह अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश प्रत्यावर्तित किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सभी पेंशनभोगी, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, अर्थात् 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी उन पेंशनभोगियों के समान, जो 1996 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं, पेंशन के पुनरीक्षण के हकदार होंगे । संबंधित पेंशनभोगियों को आज से तीन मास की अवधि के भीतर बकाया का संदाय किया जाए ।

10. तद्नुसार, वर्तमान अपील मंजूर की जाती है । तथापि, मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.